

न्यायालय अपर समाहर्ता (जिला राजस्व शाखा), गिरिडीह।

पत्रांक 327 / रा. न्या.

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

सेवा में,

उपायुक्त,
गिरिडीह।

गिरिडीह, दिनांक 28 / 11 / 2018


विषय: विविध वाद संख्या 27/2017-18 (अमित कुमार मिश्र एवं अन्य ग्रामीण जनता, ग्राम वांसडीह, थाना देवरी बनाम् श्री राम सहाय दुसाध के वंशज बालेश्वर पासवान, पिता स्व० राम सहाय दुसाध, सा० वांसडीह, थाना देवरी) का मूल अभिलेख का प्रेषण।

महाशया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विविध वाद संख्या 27/2017-18 (अमित कुमार मिश्र एवं अन्य ग्रामीण जनता, ग्राम वांसडीह, थाना देवरी बनाम् श्री राम सहाय दुसाध के वंशज बालेश्वर पासवान, पिता स्व० राम सहाय दुसाध, सा० वांसडीह, थाना देवरी) का मूल अभिलेख अनुलग्नक सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती

अनु०: यथोक्त। मूल अभिलेख अनुलग्नक सहित विविध वाद संख्या 27/2017-18 (अमित कुमार मिश्र एवं अन्य ग्रामीण जनता, ग्राम वांसडीह, थाना देवरी बनाम् श्री राम सहाय दुसाध के वंशज बालेश्वर पासवान, पिता स्व० राम सहाय दुसाध, सा० वांसडीह, थाना देवरी)

विश्वारामाजन



अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

आदेश की
क्रम संख्या
और
तारीख

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्यवाही
के बारे में
टिप्पणी लिखें

19/9/77

अभिनेत्र उपस्थित।
दिनांक 5/10/77 वीं आदेश संख्या 111/77
1977

27/11/77

अभिनेत्र उपस्थित।
निरत व्यापारण द्वारा जारी आदेश सं.
संख्या कागजातों को अनुरोध किया गया।
पंजा - वासुदेव, भाग नं 536, खाना नं 7,
लॉट - 1 एवं +51 115 रकबा कपडा।
0.36 ही० एवं 0.28 ही० 1, 2, कुल रकबा
0.64 ही० जमीन वन्दोवस्त है।
21/1976-77 और राम सराप दुखान
के नाम वन्दोवस्त किया गया है।
प्रश्नगत जमीन सर्वे खतिपान में
गैरजसूमा खास, पदवी बदली दर्ज
कराया गया है।

पूरे प्रकरण से पर स्पष्ट है कि
राम सराप दुखान के वन्दोवस्त रहे बिना
जब लक्ष्मी सिंह द्वारा अनुरोध प्राप्त हुए से
कलजा किया जाने से इंकार नहीं किया जा
सकता है।

अतः निरत व्यापारण के प्रस्ताव
पर तत्काल सरमति देना इत्तफाक नहीं है।
अपरीक्षण कारवाही 5/10/77 वीं
आदेश नहीं लिखा जा सका था।
अभिनेत्र उपस्थित के समक्ष (की जाय)

27/11
अपने हस्ताक्षर